मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल

(1) असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य निर्माण मजदूरों के लिये विशेष कानून –

असंगठित निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिये राज्य स्तर पर एक कल्याण निधि की स्थापना की गई है और इसके संचालन के लिये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन किया गया है । निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों की समस्याओं के निवारण के लिये निम्नांकित कानून लागू किये गये हैं ।

1. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996

इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्यदर्शाओं उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण के लिये प्रावधान किये गये हैं । किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने आवास के लिये 10 लाख रूपये तक की लागत के बनाये जा रहे मकान को छोड़कर अन्य सभी निर्माण कार्यो में यह कानून लागू है ।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य क्या है ?

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार, अधिनियम 1996 की धारा 2 डी के अनुसार भवन या अन्य संनिर्माण कार्य का तात्पर्य भवनों, मार्गो, सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई मैदानों सिचाई, जलनिकास, तटबंध, नौ परिवहन, संकर्म, बाढ़ नियंत्रण कार्य (वृष्टिजल निकास संकर्म भी) विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल संकर्म (जिसमें जल के वितरण के लिये सभी सारणीयां) तेल तथा गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाइनों, बेतार, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, तार तथा विदेश संचार माध्यमों बांधों नहरों, जलाश्यो, जल सारणियों, सुरंगो, पुलों, सेतुओ, जलसेतुओं, पाइपलाइनों, मीनारो, शीतलन, मीनारों (टावर), पारेषण मीनारों को सम्मिलित किया गया है । इसमे ऐसे कार्य भी हैं जो समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमित निर्दिष्ट करे या उनके संबंध में संनिर्माण परिवर्तन मरम्मत, अनुरंक्षण या गिराया जाना शामिल है। परंतु इसके अंतर्गत ऐसे भवन या अन्य संनिर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे । जिसमें काराखाना अधिनियम 1948 अथवा खदान अधिनियम 1952 के प्रावधान लागू होते हों।

(3) निर्माण श्रमिक कौन है ?

अधिनियम की धारा 2 ई के अनुसार निर्माण श्रमिक से अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक परवेक्षण तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्यवेतन या पारिश्रमिक के लिये कार्य करता हो किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है । उदाहरण के लिये उपयंत्री निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है । ठेकेदार तथा ईट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर, टाईलस, खपरे, मुरम, मिट्टी जैसी निर्माण सामग्री प्रदाय करने वाले व्यक्ति एवं अन्य स्वयं की पूजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति भी निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है ।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनॉक 24.01.2005 के अनुसार प्रदेश के निर्माण मजदूरों की विशिष्ट पहचान के लिये शासन द्वारा भवन तथा अन्य संनिर्माण कार्य से जुड़े हुए निम्न 38 श्रेणी के श्रमिकों को निर्माण मजदूर के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

1. पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने वाले, 2. राजमिस्त्री (मैसन) या इंटों पर रद्दा करने वाले, 3. बढ़ई (कारपेंटर), 4. पुताई करने वाले (पेंटर), 5. फिटर या बार बैंडर, 6. सड़क के पाईप मरम्मत में लगे प्लम्बर, 7. इलेक्ट्रीशियन, 8. मैकनिक, 9. कुए खोदने वाले, 10. बैलडिंग करने वाले, 11. मुख्य मजदूर, 12. मजदूर, 13. स्प्रे मैन या मिक्सर मेन (सड़क बनाने में लगे), 14. लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, 15. कुए में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर, 16. हथौड़ा चलाने वाले, 17. छप्पर डालने वाले, 18. मिस्त्री, 19. लोहार, 20. लकड़ी चीरने वाले, 21. कॉलकर, 22. मिश्रण करने वाले (कांक्रीट मिक्सर चलाने वाले सहित), 23. पंप ऑपरेटर, 24. मिक्सर चलाने वाले, 25. रोलर चालक, 26. बड़े यांत्रिक कार्य जैसे मशीनरी पुल के कार्य आदि में लगे खलासी, 27. चौकीदार, 28. मोजइक पालिश करने वाले, 29. सुरंग कर्मकार, 30. संगमरमर/कड़प्पा पत्थर कर्मकार, 31. सड़क कर्मकार, 32. चट्टान टोड़ने वाले या खनिज कर्मकार, 33. संनिर्माण कार्य में जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, 34. चूना बनाने की क्रिया में लगा कर्मकार, 35. बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, 36. बांध पुल, सड़क या किसी भवन संनिर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कार्य, 37. कारखाना अधिनियम (1948 केन्द्रीय अधिनियम 63) के आधीन ईट बनाने वाले मे लगे कर्मकार से भिन्न कर्मकार, 38. पंडाल संनिर्माण में लगे कर्मकार ।

(4) पंजीयन हेतु कौन पात्र है ?

पंजीयन के लिये ऐसे सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो शासन, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रमों, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की विभिन्न निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सड़क, पुल–पुलिया तालाब, नहर, भवन आदि के निर्माण कार्य में अस्थाई रूप से मजदूरी करते हैं। उदाहरण के लिये शासन की रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास योजना, विभिन्न भवन निर्माण योजना तथा नगरीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं जैसे सड़क निर्माण, जल प्रदाय योजना, गंदी बस्ती उन्मूलन योजना, आवासीय योजना, निजी एवं सहकारिता क्षेत्र के सभी बिल्डर, कॉलोनाइजर व ऐसी निर्माण एजेंसियों में कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक पंजीयन के लिये पात्र होंगे ।

(5) पंजीयन हेतु कौन पात्र नहीं है ?

अधिनियम मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के कल्याणर्थ बनाया गया है। जिन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है । अतः ऐसे निर्माण श्रमिक जो नियमित वेतन, ई. एस.आई., प्रोविडेंट फण्ड, ग्रेच्युटी जैसे लाभ प्राप्त करते हैं, उन्हें पंजीयन की पात्रता नहीं होगी । संगठित क्षेत्र के संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं निजी क्षेत्र की कंपनी/स्थापनाओं अथवा केन्द्र या राज्य सरकार, केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं निजी क्षेत्र की कंपनी/स्थापनाओं में नियमित रूप से प्रतिमाह निश्चित वेतन प्राप्त करते हैं, पंजीयन के लिये पात्र नहीं होगें जिन्हें उपरोक्तानुसार वर्णित न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है ।

(6) पंजीयन हेतु प्रावधान

पंजीयन के लिये श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसे कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है । भवन कर्मकारों के हिताधिकारी के रूप में पंजीयन के लिये निम्नानुसार प्राधिकारी नियुक्त हैं –

1. मण्डल के आदेश दिनॉक 01.08.2003 द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारियों को तथा आदेश क्रमांक 35/04 दिनॉक 4.09.2004 द्वारा प्रदेश के सभी श्रम निरीक्षकों को पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

2. मण्डल के आदेश क्रमांक 06/2007 दिनॉक 21.02.2007 द्वारा समस्त सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यंत्रीकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नर्मदा घाटी विकास तथा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

3. अधिसूचना क्रमांक 549 दिनॉक 1 अक्टूबर 2007 जो कि राजपत्र में 5 अक्टूबर 2007 के (पृष्ठ क्रमांक 2493) द्वारा प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को उनके अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

4. अधिसूचना क्रमांक 192 दिनांक 10.07.2008 (भाग 1) मध्यप्रदेश राजपत्र 11.07.2008 में प्रकाशित के अनुसार नगरीय क्षेत्रों के लिये प्रदेश के समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जहां पर सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी का कार्यालय स्थित है उस जिले के मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में यह कार्य श्रम विभाग को प्रदान किया गया है तथा जिले के शेष शहरी क्षेत्र में तथा जिन जिलों में श्रम निरीक्षक पदस्थ हैं वहां के शहरी क्षेत्र में पंजीयन का कार्य पदस्थ श्रम निरीक्षक तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेंगे।

(7) पंजीयन की प्रक्रिया

1. अधिसूचना दिनांक 5.10.2007 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रथम बार पंजीयन तीन वर्ष के लिये ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर 10 रूपये नगद भुगतान कर किया जा सकेगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को दी जावेगी तथा प्राप्त शुल्क ग्राम पंचायत निधि में जमा होगा। आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति एवं तद्नुसार पंजीयन आदेश संबंधी निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में लिया जावेगा। पंजीयन आदेश के पश्चात् पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से फोटो–परिचय पत्र जारी किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीयन हेतु आवेदन सहस्वीकृति पत्र परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

2. अधिसूचना दिनांक 10.07.2008 के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिये प्रथम बार पंजीयन तीन वर्ष के लिये संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी/सहायक यंत्री (पंजीयन अधिकारी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर 10 रूपये नगद भुगतान कर किया जा सकेगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जिसमें आवेदक का नाम, पता एवं आवेदन–पत्र प्राप्त करने की दिनांक अंकित हो, श्रम विभाग/नगरीय निकाय आवेदक को दी जायेगी तथा प्राप्त शुल्क संबंधित कार्यालय द्वारा जमा कर मंडल को देया होगा। नगरीय क्षेत्र में पंजीयन हेतु आवेदन सहस्वीकृति पत्र परिशिष्ट–2 में संलग्न है।

(8) अपीलीय प्राधिकारी कौन है ?

1. सहायक यंत्री लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी संवा, नर्मदा घाटी विकास के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री तथा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपीलीय अधिकारी होंगे।

2. ग्राम पंचायतों द्वारा पंजीयन का आवेदन अमान्य करने अथवा अपात्र का पंजीयन करने के आदेश के विरूद्ध तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अपील की जा सकेगी। श्रम निरीक्षक की अपील सहायक श्रम पदाधिकारी सुनेंगे। सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम पदाधिकारी की अपील सहायक श्रमायुक्त तथा सहायक श्रमायुक्त की अपील संबंधित उप श्रमायुक्त सुन सकेंगे। अपील का निराकरण दो माह के भीतर किया जाना होगा।

3. कोई भी व्यक्ति पात्र का पंजीयन न करने अथवा अपात्र का पंजीयन निरस्त कराने के लिये तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को उपरोक्तनुसार अपील कर सकेगा, तहसीलदार/नायब तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकरी, राजस्व को

यह अधिकार प्राप्त होगा कि स्वयंमेव सूचना प्राप्त होने पर भी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन कराने अथवा अपात्र व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करने संबंधी निर्देश पंजीयन अधिकारी को देय सकेगा अपील करने हेतु कोई समय सीमा नहीं होगी एवं कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(9) निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

1. प्रसूति सहायता

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19.10.2007 के संशोधन अनुसार वर्तमान प्रावधान के स्थान पर जननी सुरक्षा योजना के प्रावधानों के अनुरूप सहायता देय होगी. छह सप्ताह के प्रसूति अवकाश एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में 5 हजार रूपये की सहायता देय होगी. जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत नगद लाभ प्राप्त देय होगी. जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त ना होने की दशा में मंडल द्वारा 5 हजार रूपये के अतिरिक्त 1 हजार रूपये और देय होगा। निर्माण श्रमिक चाहे पुरूष हो या स्त्री, पति हो पत्नी में से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा । किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रही निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता का लाभ नहीं दिया जायेगा, परंतु यदि निजी एवं अन्य संस्था में महिला श्रमिक कार्यरत् है तो उसे इस सुविधा का लाभ दिया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसुति के अधिकतम 60 दिन के अंतर्गत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में प्रकरण को स्वीकृत कर सकेंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए एक मुश्त भुगतान किया जायेगा । नगरीय क्षेत्र के लिये, जहॉ श्रम कार्यालय स्थित है । उस नगरीय क्षेत्र के लिये योजनान्तर्गत स्वीकृत सहायता श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। अन्य नगरीय क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) स्वीकृति हेतु सक्षम होंगे।

2. चिकित्सा सहायता

राजपत्र दिनॉक 30 सितम्बर 2005 में प्रकाशित चिकित्सा सहायता योजना 2004 एवं राजपत्र दिनॉक 3 दिसंबर 2004 में प्रकाशित दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना 2004 को अधिक्रमित करते हुए सभी पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को राज्य शासन की निम्न योजनाओं के अंतर्गत समकक्ष लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

1. जननी सुरक्षा योजना
2. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
3. राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि
4. गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना
5. शासन की अन्य कोई जीवन बीमा, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की पात्रता आती हो ।

इन योजनाओं के प्रावधानानुसार संबंधित विभाग द्वारा देय लाभ प्राप्त न होने की दशा में मण्डल द्वारा समकक्ष लाभ देय होगे, योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 15 हजार रूपये प्रति वर्ष प्रति परिवार की सीमा तक सहायता जनपद के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी कर सकेंगे । 15 हजार रूपये से अधिक एवं 1 लाख तक की सहायता जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत की जावेगी । 1 लाख से 2 लाख तक स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त को दिया जाता है । 2 लाख रूपये से अधिक किन्तु 3 लाख तक की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की

अनुशंसा सहित मंडल को प्रेषित किए जाने पर मंडल के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा। नगरीय क्षेत्र के लिय रूपये 15 हजार तक की स्वीकृति के अधिकार जहॉ पर सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय का मुख्यालय स्थित है ऐसे शहर/नगरीय क्षेत्र में सहायक श्रम आयुक्त तथा श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कर सकेंगे । शेष शहरी क्षेत्र तथा ऐसे जिले जहॉ पर श्रम निरीक्षण पदस्थ हैं । वहॉ के शहरी क्षेत्र में योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रदान किये गये हैं । 15 हजार रूपये से अधिक एवं 1 लाख रूपये तक की स्वीकृति सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी । 1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक के लिये कलेक्टर की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त एवं 2 लाख से अधिक किन्तु 3 लाख तक की राशि से संबंधित प्रकरण श्रम कार्यालय/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुशंसा सहित मंडल को प्रेषित किए जाने पर मंडल के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा।

राज्य शासन की उपरोक्त योजनाओं में समय–समय पर होने वाले संशोधन स्वतः यशावत मण्डल में भी लागू माने जावेंगे । ऐसे पंजीबद्ध निर्माण श्रमिकों को जो गरीबी की रेखा के नीचे आने के कारण उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के पात्र है, उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/संबंधित विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत होने की दशा में मण्डल द्वारा अलग से सहायता राशि देय नहीं होगी। शेष सभी पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक जो गरीबी की रेखा के ऊपर निवासरत होने के कारण अथवा अन्यथा संबंधित विभाग द्वारा उपरोक्त योजनान्तर्गत सहायता के लिये पात्र नहीं है, को योजना के प्रावधानों के समतुल्य सहायता राशि मण्डल द्वारा पात्रतानुसार देय होगी, जहॉ तक व्यवहारिक रूप से संभव हो सहायता राशि पंजीबद्ध श्रमिक को न प्रदान करते हुये सीधे संबंधित शासकिय चिकित्सालय/राज्यशासन के शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त/अधिसूचित निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/ब्लड बैंक/चिकित्सीय जांच केंन्दों को जिन्हें ई.एस.आई. के पेटर्न पर मण्डल पृथक से अधिसूचित करेगा, सीधे एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा देय होगी. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत सिर्फ आंतरिक रोगियों (इनडोर) को ही योजनान्तर्गत लाभ स्वीकृत किया जायेगा, बाहय रोगियों (आउट–डोर) को कोई सहायता देय नहीं होगी । उपरोक्त वित्तीय सीमा तक इलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पंजीबद्ध श्रमिक को उसी प्रकार की जायेगी जैसे की शासकीय कर्मचारी को की जाती है । प्रतिपूर्ति के पहले संबंधित शासकीय चिकित्सक द्वारा इलाज संबंधी पर्ची एवं खरीदी गई दवाओं इत्यादि के देयक जो कि चिकित्सक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो प्राप्त किये जायेगे । विशेष प्रकरणों में उपरोक्त वित्तीय सीमा तक संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकेगा. चिकित्सा अग्रिम सीधे संबंधित चिकित्सालय से अग्रिम का अनुमानित व्यय संबंधी विवरण प्राप्त होने पर सीधे चिकित्सालय को एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा पंजीबद्ध श्रमिक को सूचित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वविवेक से विशेष प्रकरणों में अधिकतम 5 हजार रूपये पंजीबद्ध श्रमिक को ही चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत कर एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

पंजीबद्ध श्रमिग की निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की दशा में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत अथवा नियोक्ता से क्षतिपूर्ति प्राप्त न होने पर, मजदूरी की क्षतिपूर्ति स्वरूप, काम पर न जा सकने के वास्तविक दिनों के लिये, 50 रूपये प्रतिदिन अथवा अधिनियम 1 हजार रूपये तक, शासकिय चिकित्सक के परामर्श के आधार पर, बेयरर चेक द्वारा सहायता देय होगी. निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के किसी

सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमार होने की दशा में, घर/दुर्घटना स्थल से अस्पताल आने–जाने हेतु, विभागीय एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की दशा मं किराये अथवा स्वयं के वाहन को उपयोग में लाये जाने के फलस्वरूप परिवहन का वास्तविक व्यय, अथवा 500 रूपये, जो भी कम हो, मरीज द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण करने के आधार पर, वाउचर की मांग किये बिना, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त बेयरर चेक द्वारा देय होगा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये स्वीकार योग्य व्ययो में कमरे का किराया, परामर्श शुल्क, पैथालॉजी जांच, एक्सरे जांच, औषधियों का मूल्य, नर्सिंग चार्जेस आदि वे सभी शुल्क स्वीकार योग्य होंगे जो अस्पताल द्वारा चार्ज किये गये हैं.

3. विवाह सहायता

पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 5 हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी. उपरोक्त के अतिरिक्त रूपये 1 हजार सामूहिक विवाह के आयोजक प्रति विवाह अलग से देय होगी। विवाह की प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन की दशा में, पात्रता की जांच उपरान्त, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जनपद पंचायत द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा में प्रकरण की स्वीकृत की जावेगी। नगरीय क्षेत्रों के लिये जहां श्रम कार्यालय स्थित है उस नगरीय क्षेत्र के लिए योजनान्तर्गत स्वीकृति सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। शेष शहरी क्षेत्र तथा जिले जहां पर श्रम निरीक्षक पदस्थ हैं वहां के शहरी क्षेत्र में योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रदान किये गये हैं । सामूहिक विवाह के आयोजन की प्रतीक्षा किये बिना पात्र पाये जाने पर स्वीकृत पत्र करते हुए, स्वीकृति पत्र में स्पष्ट किया जाये कि रूपये 5 हजार एकाउण्ट पेयी चेक सामूहिक विवाह के आयोजन के दिन प्रदान किये जायेंगे । सामूहिक विवाह के आयोजकों को भी आयोजन की व्यवस्था करने के लिये 1 हजार रूपये प्रति विवाह की दर से राशि स्वीकृत कर एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा भुगतान की जाये, ताकि नियमित रूप से सामूहिक विवाह आयोजित करने में सुविधा हो। परंतु एकल विवाह की पुष्टि होने की दशा में भी पांच हजार रूपये की राशि देय होगी । एकल विवाह की पुष्टि होने पर पांच हजार रूपये की राशि स्वीकृत अधिसूचना के प्रकाशन के दिनॉक 11.7.2008 से लागू होगी ।

4. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान

18 से 60 वर्ष की उम्र के पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में समान रूप से 25 हजार रूपये अनुग्रह राशि एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा स्वीकृत की जावेगी । मृत्यु के 3 माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे । मृत्यु के प्रमाण स्वरूप समक्ष अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र देखकर छायाप्रति अभिलेख में रखी जाये । उपरोक्त के अतिरिक्त अंत्येष्टि हेतु तात्कालिक सहायता स्वरूप रूपये 2 हजार बेयरर चेक से भुगतान किये जावेंगे । दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1 लाख रूपये तथा अपंगता की स्थिति में 75 हजार रूपये की स्वीकृति की जावेगी । प्रकरण स्वीकृति के पूर्व सहमति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा मण्डल के मुख्यालय को अनुमोदन के लिये संपूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे ।

5. शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना

प्रोत्साहन राशि का भुगतान तीन किश्त के स्थान पर एक मुश्त 31 मार्च के पहले तक अनिवार्य रूप से प्रदान की जायेगी । प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि पात्र छात्रों से आवेदन

भरवायें एवं निर्धारित समय पर स्वीकृत राशि वितरित करें । प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन पत्र 31 मार्च तक प्राप्त किये जा सकेंगे ।

प्रोत्साहन राशि की दरें निम्नानुसार होंगी :–

क्र.	प्रोत्साहन हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1	कक्षा 1 से 5 तक	5000	750
2	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	750	1000
3	9 वीं से 12 वीं	1000	1500
4	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी/बी.कॉम./ डिप्लोमा स्तर के पाठ्य क्रम आदि	1500	2000
5	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	2500	3000
6	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् होने पर	3000	4000
7	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर	4000	5000

6. मेधावी छात्र–छात्राओं को नगद पुरस्कार

योजनान्तर्गत **प्रथम श्रेणी में** उत्तीर्ण होने पर निर्माण कर्मकारों के बच्चों को नगद पुरस्कार दिया जावेगा । पुरस्कार 31 मार्च के पहले तक अनिवार्य रूप से प्रदान किया जावेगा । प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी कि पात्र छात्रों से आवेदन भरवाये एवं निर्धारित समय तक स्वीकृत राशि वितरित करें । नगद पुरस्कार की राशि निम्नानुसार होगी–

क्र.	कक्षा	पुरस्कार राशि	
		छात्र	छात्रा
1	5वीं से 7वीं	500	750
2	8वीं से 9वीं	750	1000
3	10वीं से 11वीं	1000	1500
4	12वीं	1500	2000
5	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित होने	2000	2000
6	स्नातक स्तर की कक्षा जैसे बी.ए./बी.काम. आदि के लिए	2000	2000
7	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक शिक्षा हेतु चयनित होने स्नातक स्तर की कक्षा जैसे एम.ए./एम.काम./ आदि के लिए	3000	3000

उपरोक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता करने हेतु पूर्व में अधिसूचित आवेदन–पत्रों को निरस्त करते हुए सरलीकृत आवेदन–पत्र का प्रारूप परिशिष्ट 3,4,5 तथा 6 में संलग्न है ।